

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2019-2020

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण Airports Economic Regulatory Authority of India



















भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

1. प्रस्तावना

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317 (ई) द्वारा की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

2. प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारियों का प्रोफाइल



(क) श्री बलविंदर सिंह भुल्लर, अध्यक्ष

श्री बलविंदर सिंह भुल्लर ने 8 जुलाई, 2019 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

श्री भुल्लर, अमृतसर, पंजाब से हैं और उनका शैक्षिक कैरियर असाधारण है। बी.एससी (ऑनर्स) और कृषि विज्ञान में एम.एससी करने के पश्चात, वे 1986 में उत्तर प्रदेश काडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में आईएएस अधिकारी के रूप में श्री भुल्लर ने प्रशासन, उद्योग, वित्त, विद्युत, शहरी विकास, परिवहन, नागर विमानन आदि

क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट- गाजियाबाद और कानपुर नगर; नगरपालिका आयुक्त, वाराणसी; उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक; सचिव, सिंचाई और जल संसाधन; परिवहन एवं वित्त विभागों के प्रधान सचिव; चतुर्थ उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य आदि के रूप में काम किया। भारत सरकार में उन्होंने 13वें केंद्रीय वित्त आयोग में संयुक्त सचिव; वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव; नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अपर सचिव के रूप में और अंत में मई, 2019 में सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने से पूर्व नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) के रूप में कार्य किया।



(ख) श्री सुब्रत सामंता, सदस्य

श्री सुब्रत सामंता ने दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में सदस्य का पद ग्रहण किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त की है और वे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के सदस्य हैं।

श्री सुब्रत सामंता भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में कार्य ग्रहण करने से पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यपालक निदेशक (जेवीसी/टैरिफ) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 1985 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यग्रहण किया था और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपने कार्यकाल के दौरान वित्त और वाणिज्यिक विभागों में कई जिम्मेदार पदों पर रहे। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में टैरिफ प्रभाग और संयुक्त उद्यम मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी भी रहे।

श्री सामंता ने 1985 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपने कैरियर की शुरूआत की और उन्हें विमानन क्षेत्र में लगभग 32 वर्ष का अनुभव है। उन्हें हवाई अड्डा क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन, हवाई अड्डों के टैरिफ निर्धारण और हवाई अड्डा क्षेत्र में पी.पी.पी.परियोजना के अनुवीक्षण (मॉनीटर) का व्यापक अनुभव और जानकारी है।



(ग) श्री सुधीर रहेजा, सदस्य

श्री सुधीर रहेजा, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं, उन्होंने 02 जुलाई, 2018 को ऐरा के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री रहेजा को परियोजना कार्यान्वयन का व्यापक अनुभव है, उन्हें निर्माण उद्योग में कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। उन्हें एशियाड (एएसआईएडी)-82 के दौरान दिल्ली स्थित इंडोर स्टेडियम को समय पर पूरा किए जाने के लिए 1982 में "सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट" (श्रेष्ठता प्रमाण पत्र) प्रदान किया गया और गुरूग्राम में मारूति उद्योग लिमिटेड को समय पर पूरा करने के लिए विशिष्टता सराहना प्रमाण पत्र भी दिया गया। उन्होंने वर्ष 1988 में कोलकाता हवाई अड्डे पर कार्यपालक अभियंता (सिविल) के रूप में कार्य ग्रहण कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपना 30 वर्ष का लंबा प्रतिष्ठित

कैरियर शुरू किया और उसके बाद इंजीनियरिंग, सर्तकता और परियोजना अनुवीक्षण तथा गुणवत्ता आश्वासन जैसे विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान की। वे सदस्य (योजना) के रूप में फरवरी, 2010 से जून, 2018 में उनकी अधिवर्षिता तक एएआई बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य रहे। उनके द्वारा इकाओ कार्यशाला में प्रस्तुत दो दस्तावेजों "वार्षिक अनुरक्षण अविध संविदा" और "मार्ग प्रबंधन प्रणाली" के प्रतिपादन के लिए वे प्रेरणा स्रोत रहे।इन दस्तावेजों को बाद में एएआई के सभी हवाईअड्डों द्वारा अंगीकृत किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्तकता विभाग में महाप्रबंधक (सर्तकता) के रूप में सार्वजनिक खरीद से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पारदर्शी बनाया और एएआई की उच्च मूल्य खरीद संविदाओं में "इंटीग्रिटी पैक्ट" के विकास और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सदस्य (योजना) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एएआई हवाई अड्डों पर टर्मिनल और वायुमार्ग दोनों की आधारभूत हवाई अड्डा सुविधाओं में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की प्रतिस्पर्धा में अत्याधुनिक हवाई अड्डों के लिए बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए। उन्हें 'द इकोनॉमिक टाईम्स' (इन्फ्रा फोकस) द्वारा 'अवसंरचनात्मक विकास में उत्कृष्ट योगदान' के लिए "मान्यता प्रमाणपत्र" (सर्टिफिकेट आफ रेकोग्निशन) प्रदान किया गया।


श्री रहेजा ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल), मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) और केम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरू (बीआईएएल) के बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया है; साथ ही वे हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों तथा एएआई की संयुक्त उद्यम कंपनी, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीएचआईएल) बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं।





3. संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:



ऐरा के स्टाफ में विमानन क्षेत्र, वित्त क्षेत्र आदि में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी हैं। वार्षिक रिपोर्ट की अवधि में ऐरा में अध्यक्ष एवं सदस्य सहित कुल 22 अधिकारी/कर्मचारी थे।

4. विनियम का दायरा

- 4.1 अधिनियम में निर्धारित किए अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:
- (क) वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण करना
- (ख) प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- (ग) वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना
- (घ) सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- 4.2 ऐरा, हवाई अड्डा सुविधाओं में सुधार के लिए वहन किए जाने के लिए अपेक्षित पूंजीगत व्यय,इन सुविधाओं में समय पर निवेश, ऐसे निवेशों पर उचित मुनाफा प्रदान करने तथा हवाई अड्डों पर सफल और लाभप्रद प्रचालनों का अनुरक्षण/बढ़ोत्तरी करने की लागत को ध्यान में रखकर सभी वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। प्राधिकरण वैमानिक सेवाओं से

भिन्न सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मात्रा पर भी विचार करता है और केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी करार या समझौता ज्ञापन में या अन्यथा दी गई रियायत, यदि कोई हो, और टैरिफ निर्धारण के लिए सुसंगत किसी अन्य तथ्य को भी ध्यान में रखता है।

4.3 हाल ही में ऐरा अधिनियम, 2008 को "ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019" द्वारा संशोधित किया गया है, जो दिनांक 26.09.2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू हुआ है। इसमें "प्रमुख हवाई अड्डों" की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

"ऐसा कोई भी हवाई अड्डा, जहां से हर वर्ष साढ़े तीन मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं या जो हवाई अड्डा ऐसी यात्रा के लिए निर्दिष्ट है या अन्य ऐसा कोई भी हवाई अड्डा, जिसके बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में उल्लेख करे"।

इसके अतिरिक्त धारा 13 (1क) को सम्मिलित किया गया :-

उपधारा (1) और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण सभी हवाई अड्डों या उनके भाग के संबंध में प्रशुल्क या प्रशुल्क संरचना या विकास शुल्क की राशि निर्धारित नहीं करेगा, यदि ऐसा प्रशुल्क या प्रशुल्क संरचना या विकास शुल्क की राशि उस बाध्यकारी दस्तावेज में सम्मिलित की गई है, जिसके आधार पर उस हवाई अड्डे को प्रचालित करने का कार्य दिया गया है:

परन्तु यह भी कि उक्त बाध्यकारी दस्तावेज में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क, प्रशुल्क संरचनाओं या विकास शुल्क की राशि के संबंध में प्राधिकरण से परामर्श किया जाएगा और ऐसे प्रशुल्क, प्रशुल्क संरचनाओं या विकास शुल्क की राशि को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

- 4.4 ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा यथासंशोधित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (i) के प्रावधान या नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उक्त प्रावधान के तहत अधिसूचित किए अनुसार 31.03.2020 को निम्नलिखित हवाई अड्डों को "प्रमुख हवाई अड्डे" माना गया है:-
- 1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली
- 2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई
- 3. कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलुरू
- 4. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद
- 5. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- 6. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- 7. चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- 8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता
- 9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद
- 10. त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरूवनंतपुरम्
- 11. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ
- 12. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- 13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी
- 14. कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझीकोड
- 15. गुरू राम दासजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर



- 16. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी
- 17. बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर
- 18. स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा, रायपुर
- 19. तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिची
- 20. मंगलौर हवाई अड्डा, मंगलूरू
- 21. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,गोवा (सिविल एन्कलेव)
- 22. पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे (सिविल एन्कलेव)
- 23. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना
- 24. कन्नुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नुर

5. प्राधिकरण द्वारा जारी टैरिफ आदेश

01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि में ऐरा ने हितधारकों से उचित परामर्श के बाद हवाई अड्डा प्रचालकों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए:-

हवाई अड्डा प्रचालक

क्र.सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
1.	02/2019-20	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2018 - 31.03.2023) के लिए कन्नुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडा लिमिटेड (केआईएएल), के संबंध में आरसीएस उड़ानों के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में	12.04.2019
2.	13/2019-20	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2018 से 31.03.2023) के लिए जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना के संबंध में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	24.10.2019
3.	34/2019-20	द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021(के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (हैदराबाद), शम्साबाद, हैदराबाद के संबंध में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	27.03.2020

स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आई एस पी)

क्र.सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
01.	आदेश संख्या 01/2019-20	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21) के लिए छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में इन्टो-प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव पर विचार करने के संबध में।	01.04.2019

02.	आदेश संख्या 03/2019-20	मैसर्स सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में दूसरी नियंत्रण अविध (01.04.2016 से 31.03.2021) के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21) के लिए कार्गो टर्मिनल, आईजीआई एयरपोर्ट, नईदिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	22.04.2019
03.	आदेश संख्या 04/2019-20	मैसर्स जीसेक लिमिटेड के संबंध में पहली नियंत्रण अविध (वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23) के प्रथम, द्वितीय और तृतीय टैरिफ वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे पर अन्तर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	07.05.2019
04	आदेश संख्या 12/2019-20	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में दूसरी नियंत्रण अवधि के चौथे टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	18.10.2019
05	आदेश संख्या 14/2019-20	मैसर्स बीपीसीएल कन्नूर फ्यूल फार्म प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2018 – 31.03.2023) के दूसरे टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) और तीसरे टैरिफ वर्ष (2020-21) के लिए कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (केआईएएल) में फ्यूल फार्म और इंटो -प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	28.10.2019
06	आदेश संख्या 15/2019-20	छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021 तक) के लिए एक्सप्रेस इंडस्ट्री कांउसिल ऑफ इंडिया के एक्सप्रेस कार्गो प्रचालनों के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	13.11.2019
07	आदेश संख्या 16/2019-20	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 (24.5.2019 से 31.03.2020 तक) के चौथे टैरिफ वर्ष और पांचवे टैरिफ वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020- 21 के लिए केम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलुरू में इंटो-प्लेन सेवा प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	13.11.2019
08	आदेश संख्या 17/2019-20	मैसर्स भारत स्टार सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चौथे टैरिफ वर्ष (24.05.2019 से 31.03.2020) और पांचवे टैरिफ वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलुरू में इंटो-प्लेन सेवा प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में	20.11.2019



09	आदेश संख्या 18/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	22.11.2019
10	आदेश संख्या 18/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	22.11.2019
11	आदेश संख्या 18/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	22.11.2019
12	आदेश संख्या 18/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	22.11.2019
13	आदेश संख्या 18/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद मेंग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) के मामले में।	22.11.2019
14	आदेश संख्या 18/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	22.11.2019
15	आदेश संख्या 19/2019-20	मैसर्स मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020- 21 के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई में अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) के मामले में।	18.12.2019
16	आदेश संख्या 21/2019-20	मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलुरू में ग्रांउड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) के मामले में।	17.01.2020

17	आदेश संख्या 22/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रांउड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	10.02.2020
18	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
19	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
20	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चण्डीगढ़ में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
21	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
22	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
23	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पटना हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
24	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020



25	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
26	आदेश संख्या 23/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए आई ए टी एस एल) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	14.02.2020
27	आदेश संख्या 24/2019-20	मैसर्स सैलेबी एनएएस, एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध (01.04.2016 से 31.03.2021 तक) के लिए सीएसएमआई हवाई अड्डा, मुम्बई में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) (टी4 और टी5) के मामले में।	17.02.2020
28	आदेश संख्या 25/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के (वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21) के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	18.02.2020
29	आदेश संख्या 26/2019-20	मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021) के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (01.04.2019 से 31.03.2020 और 01.04.2020 से 31.03.2021) के लिए त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गों हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	19.02.2020
30	आदेश संख्या 27/2019-20	जीएमआर एयर कार्गो एवं एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड (पूर्व में हैदराबाद मैनजीस एयर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के प्रभाग मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो के संबंध में चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21) के लिए हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	25.2.2020
31	आदेश संख्या 29/2019-20	मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21) के लिए हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुवर्षीय और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	13.03.2020

32	आदेश संख्या 32/2019-20	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष	19.03.2020
		2019-20 और 2020-21) के लिए केम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, (के आई ए एल) बैंगलुरू में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	

6. निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण

ऐरा के प्रमुख कार्यों में से एक सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित उन निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना है, जो केंद्र सरकार या इसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों के लिए संबंधित रियायत करारों में सेवा मानक निर्धारित किए गए हैं।

प्राधिकरण वर्तमान में हवाई अड्डों पर निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करने के लिए हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा नियुक्त विभिन्न एजेंसियों जैसे **एसीआई, स्काई ट्रैक्स** आदि द्वारा दी गई रेटिंग पर विश्वास करता है।

7. ऐरा में न्यायालयी मामले

ऐरा द्वारा जारी किए गए विभिन्न टैरिफ आदेशों के संबंध में 31.03.2020 तक विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में 33 (तैंतीस) मामले लंबित हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 11 नए मामले दर्ज किए गए और 10 मामलों का निपटारा किया गया है। दिनांक 31.03.2020 तक लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायालय/अधिकरण	मामलों की संख्या
1.	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)	24
2.	भारत का उच्चतम न्यायालय	05
3.	तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद	02
4.	उच्च न्यायालय,दिल्ली	01
5.	उच्च न्यायालय, कर्नाटक	01
	कुल मामले	33

8. प्रशासनिक और स्थापना मामले

(क) नए अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण

अक्टूबर-नवंबर, 2019 में चलाए गए भर्ती अभियान के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्राधिकरण में निदेशक (विधि); निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी); अवर सचिव (वित्त एवं लेखा); अवर सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन); अध्यक्ष के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और निजी सचिव के पदों पर अनुभवी एवं अर्हता प्राप्त अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण किया।



(ख) सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए ऐरा द्वारा सभी प्रयास किए गए। ऐरा में हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए दिनांक 14 से 30 सितम्बर, 2019 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें 16 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए तीन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 41 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। वर्ष के दौरान ऐरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्राधिकरण के सदस्यों के साथ नियमित रूप से आयोजित की गईं। प्राधिकरण में हिन्दी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा राजभाषा संबंधी कार्य को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण को वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय पुरस्कार के रूप में शील्ड प्रदान की गई।

(ग) महिला कल्याण जिसमें जैन्डर बजटीय आंकड़े भी शामिल हैं:

ऐरा में 14 महिला अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिनमें केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात महिलाएं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर तैनात और ऑउट-सोर्स आधार पर सहायक स्टाफ के रूप में कार्यरत महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यालय परिसर में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(घ) जन शिकायत निवारण व्यवस्था:

प्राधिकरण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।

(ड.) प्रदूषण नियंत्रण:

प्राधिकरण हवाई अड्डों पर पर्यावरण अनुकूल उपायों जैसे सौर/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, पानी की रिसाइक्लिंग आदि को प्रोत्साहित करता है।

(च) दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिनिधित्व:

प्राधिकरण केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर ही ऐरा के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करता है। इस कारण से आरक्षण नीति सीधे तौर पर लागू नहीं है, तथापि ऐरा में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के काफी अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं।

(छ) दिव्यांगों के लिए गतिविधियां:

ऐरा वेबसाइट दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है। ऐरा ने अपना भवन एयर इंडिया से किराए पर लिया हुआ है, परन्तु दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए भवन में रेंप बनाने, जिनसे वे आसानी से भवन में प्रवेश कर सकते हैं, और शौचालय आदि की अन्य सुविधाएं उपलब्ध कर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे दिव्यांगों को सुविधा रहे।

(ज) प्रमुख उपलब्धियां

प्राधिकरण ने मैसर्स राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अविध के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए दिनांक 19.12.2017 को परामर्श पत्र संख्या 30/2017-18 जारी किया। परन्तु, मैसर्स जीएचएआईएल ने माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष रिट याचिका दायर की और ऐरा की आगे की कार्यवाही पर स्टे लगा दिया गया।

स्टे हटने के बाद प्राधिकरण ने आरजीआईए हैदराबाद के लिए द्वितीय नियंत्रण अविध के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1क) के अधीन दिनांक 27.03.2020 के आदेश संख्या 34/2019-20 द्वारा वैमानिक प्रशुल्क निर्धारित करने का अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी कर दिया, जिससे यात्रियों को 2010 से लगाए गए यूडीएफ का भार कम होने का लाभ हुआ है।

09. बजट:

(क) निधियन संरचना

ऐरा सरकार के सहायता अनुदान के माध्यम से अपने लिए निधियन प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऐरा ने नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से 10.88 करोड़ रूपए प्राप्त किए। ऐरा अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लगाता/वसूल नहीं करता।

10. विनियामक पक्ष-समर्थन और प्रयोक्ताओं के हित की सुरक्षा

प्राधिकरण के पदाधिकारी ऐरा की विनियामक प्रकृति के कार्यों और गतिविधियों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। अध्यक्ष भी अन्य विनियामक प्राधिकरणों के विकासों की जानकारी के लिए विनियामक फोरम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।


11. क्षमता निर्माण


प्राधिकरण अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्य से संबंधित शिक्षण/सेमिनार(संगोष्ठी)/कार्यशाला में भेजता है।


12. लेखा और लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र संलग्न है।





















Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) Annual Report 2019-20

1. Introduction

Consequent to the recommendations of The Naresh Chandra Committee Report, Government of India established Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA). It is a statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. The AERA was established by the Government vide its Notification No. GSR 317 (E) dated 12.05.2009 with its Head Office at New Delhi.

2. Profile of the Authority's Key Officials.



(a) Shri Balwinder Singh Bhullar, Chairperson

Shri Balwinder Singh Bhullar took over as Chairperson, Airports Economic Regulatory Authority of India on 8th July, 2019.

Shri Bhullar hails from Amritsar, Punjab and has a distinguished academic career. After completing B.Sc. (Hons.) and M.Sc. in Agricultural Sciences, he joined the Indian Administrative Services in 1986 in Uttar Pradesh Cadre.

As an IAS officer, Shri Bhullar handled several important positions in the State Government of Uttar Pradesh and Government of India, varying from Administration, Industry, Finance, Power, Urban Development, Transport, Civil Aviation, etc. In the Government of Uttar Pradesh he worked as District Magistrate of Ghaziabad & Kanpur Nagar, Municipal Commissioner of Varanasi, Joint Managing Director in UP Financial Corporation, Secretary of Irrigation & Water Resources, Principal Secretary in Departments of Transport & Finance, Member of 4th UP State Finance Commission, etc. In the Government of India, he worked as Joint Secretary to 13th Central Finance Commission, Joint Secretary in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Joint Secretary and Additional Secretary in the Ministry of Civil Aviation and finally as Director General of Civil Aviation (DGCA) before superannuating from the Government service in May, 2019.



(b) Shri Subrata Samanta, Member

Shri Subrata Samanta took charge as Member, AERA on 17th November, 2016. He holds a degree in Commerce from Kolkata University and is a Member of The Institute of Chartered Accountants of India.

Prior to joining AERA, Shri S. Samanta was working as Executive Director (JVC/Tariff) in Airports Authority of India. He joined AAI in 1985 and during his tenure in AAI has held many responsible positions

in the Departments of Finance & Commercial. He was also In-charge of Tariff Division and Joint Venture Monitoring Cell in AAI.

Shri Samanta started his career in 1985 in AAI and has almost 32 years of experience in the Aviation field. He has rich experience and exposure regarding Financial Management in Airport Sector, Tariff Determination of Airports and PPP project monitoring in the Airport Sector.



(c) Shri Sudhir Raheja, Member

Shri Sudhir Raheja, a Civil Engineering graduate from Delhi College of Engineering, Delhi University took over charge as Member, AERA on 2nd July, 2018. With his rich project implementation experience, has earned many accolades in the construction industry. He was conferred with "Certificate of Merit" in 1982 for timely completion of ASIAD-82 Indoor Stadium, Delhi and given Commendation Certificate for Excellence and timely completion of Maruti Udyog Limited, Gurugram. He started his 30 year long distinguished career with Airports Authority of India as an Executive Engineer (Civil) in the

year 1988 at Kolkata Airport and thereafter he served in various departments like Engineering, Vigilance and Project Monitoring & Quality Assurance. Became the Full-Time Member on the Board of AAI in February, 2010 as Member (Planning) till his superannuation in June, 2018. He was the driving force in formulation of "Annual Maintenance Term Contract" and "Pavement Management System" two documents presented by him at ICAO workshop and later adopted at all airports in AAI. In his tenure with the Vigilance Department, as General Manager (Vigilance), he brought in transparency in various activities related to public procurement and played a vital role in development and implementation of "Integrity Pact" in high value procurement contracts. During his period as Member (Planning), Airport infrastructure at AAI airports both on terminal and airside witnessed a large scale transformation as State-of-the-Art airports, competing with the best airports in the world. He was conferred with "Certification of Recognition" by 'The Economic Times' (INFRA FOCUS) for 'Outstanding Contribution in Infrastructure Development'.


Shri Raheja has represented Airports Authority of India, on the Boards of Delhi International Airports Limited (DIAL), Mumbai International Airports Limited (MIAL) and Kempegowda International Airport-Bengaluru (BIAL) as Member; and was the Chairman of the Board of Chandigarh International Airport Limited (CHIAL), a joint venture company of AAI & State Governments of Haryana and Punjab.





3. Organisational structure

Organization structure of the Authority is given below:



AERA's staff comprises people with experience in the aviation sector, finance sector etc. on deputation from various Central, State Services & departments/ organizations. During the period of Annual Report, AERA had a total strength of 22 employees including Chairperson and Members.

4. Scope of the Regulation

- 4.1 The main functions of the Authority as defined in the Act are as under:-
- a) To determine the tariff for the aeronautical services
- b) To determine the amount of Development Fees in respect of Major Airports
- c) To determine the amount of PSF levied under Rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 framed under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934)
- d) To monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by Central Government or any authority authorized by it in this behalf.
- 4.2 AERA determines tariff for all aeronautical services taking into consideration the capital expenditure required to be incurred for improvement of airport facilities, timely investment in these facilities, providing a reasonable return on such investments and the cost for maintaining / improving efficient and economic operations at the airports. The Authority also considers a part of the revenue

received from services other than the aeronautical services and takes into account the concession, if any, offered by the Central Government in any agreement or Memorandum of Understanding or otherwise and any other factor relevant for determination of tariff.

4.3 Recently, the AERA Act 2008 has been amended by "AERA (Amendment) Act 2019" which came into effect vide Gazette Notification dated 26.09.2019 wherein the definition of "major airports" has been amended as under:-

"...any airport which has, or is designated to have, annual passenger throughout in excess of three and a half million or any other airport as the Central Government may, by notification, specify as such."

Further Section 13 (1A) has been inserted as follows:

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (I) and (2), the Authority shall not determine the tariff or tariff structures or the amount of development fees in respect of all airport or part thereof, if such tariff or tariff structures or the amount of development fees has been incorporated in the bidding document, which is the basis for award of operatorship of that airport.

Provided that the Authority shall be consulted in advance regarding the tariff, tariff structures of the amount of development fees which is proposed to be incorporated in the said bidding document and such tariff, tariff structures or the amount of development fees shall be notified in the Official Gazette."

- 4.4 As per the provision of clause (i) of Section 2 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act 2008, as amended by AERA (Amendment) Act 2019 or as notified by Ministry of Civil Aviation under the said provision, the following airports are considered as "major airports:-
- 1. Indira Gandhi International Airport, Delhi.
- 2. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai
- 3. Kempegowda International Airport, Bengaluru
- 4. Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad
- 5. Cochin International Airport
- 6. Chandigarh International Airport
- 7. Chennai International Airport
- 8. Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata
- 9. Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad
- 10. Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram
- 11. Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow
- 12. Jaipur International Airport
- 13. Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati
- 14. Calicut International Airport, Kozhikode



- 15. Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar
- 16. Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi
- 17. Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar
- 18. Swami Vivekananda Airport, Raipur
- 19. Tiruchirappalli International Airport, Trichy
- 20. Mangalore Airport, Mangaluru
- 21. Goa International Airport, Goa (Civil Enclave)
- 22. Pune International Airport, Pune (Civil Enclave)
- 23. Jay Prakash Narayan International Airport, Patna
- 24. Kannur International Airport, Kannur.

5. Tariff orders issued by the Authority

During the period of 1st April 2019 to 31st March 2020, AERA has issued the following Orders for Airport Operators and Independent Service Providers after due consultation with the Stakeholders.

Airport Operators

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
1.	Order no. 02/2019-20	In the matter of determination of aeronautical tariffs for RCS flight in respect of Kannur International Airport Ltd. (KIAL) for the first control period (01.04.2018 to 31.03.2023).	12.04.2019
2.	Order no. 13/2019-20	In the matter of determination of aeronautical tariffs in respect of Jay Prakash Narayan International Airport, Patna for the First control period (01.04.2018 to 31.03.2023).	24.10.2019
3.	Order no. 34/2019-20	In the matter of determination of aeronautical tariffs in respect of Rajiv Gandhi International Airport (Hyderabad), Shamshabad, Hyderabad for the Second Control Period (01.04.2016 – 31.03.2021)	27.03.2020

Independent Service Providers (ISPs)

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
1.	Order No. 01/2019-20	To consider Annual Tariff Proposal for Fourth & Fifth Tariff Years (FY 2019-20 and 2020-21) of the second control period in respect of M/s Indian Oil Skytanking Pvt. Limited for providing Into-Plane services at Chhatrapati Shivaji International Airport, Mumbai	01.04.2019

2.	Order No. 03/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for Fourth & Fifth Tariff Year (FY 2019-20 and FY 2020-21) of the second Control Period (01.04.2016– 31.03.2021) of M/s CELEBI Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited for providing Cargo Handling services at Cargo Terminal, IGI Airport, New Delhi.	22.04.2019
3.	Order No. 04/2019-20	In the Matter of Multi Year Tariff Proposal and Annual Tariff Proposals for First, Second and Third Tariff Years (FY 2018-19, FY 2019-20 and FY 2020-21) of the first control period (FY 2018-19 to 2022-23) in respect of M/s GSEC Limited for providing Domestic Cargo Handling Service at DABH Airport, Indore.	07.05.2019
4.	Order No. 12/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for Fourth tariff year (FY 2019-20) of the second control period in respect of M/s CELEBI Airport Services India Private Limited for providing Ground Handling Services at Indira Gandhi International Airport, New Delhi	18.10.2019
5.	Order No. 14/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for Second tariff year (FY 2019-20) and Third tariff year (2020-21) of the first control period (1.4.2018 to 31.3.2023) in respect of M/s BPCL Kannur Fuel Farm Pvt. Ltd. for providing Fuel Farm and Into-Plane Services at Kannur International Airport Limited (KIAL).	28.10.2019
6.	Order no. 15/2019-20	In the matter of Determination of tariffs for Express Cargo Operations of Express Industry Council of India in respect of Chhatrapati Shivaji International Airport, Mumbai for second control period (01.4.2016 to 31.3.2021)	13.11.2019
7.	Order No. 16/2019-20	In the matter of Annual Tariff determination for Fourth tariff year for FY 2019-20 (from 24.5.2019 to 31.3.2020) and Fifth tariff year for FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Indian Oil Skytanking Pvt. Ltd. for providing Into-Plane service at Kempagowda International Airport, Bengaluru.	13.11.2019
8.	Order No. 17/2019-20	In the matter of Annual Tariff determination for Fourth tariff year for FY 2019-20 (from 24.5.2019 to 31.3.2020) and Fifth tariff year for FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Bharat Star Service Pvt. Ltd. for providing Into- Plane services at Kempagowda International Airport, Bengaluru.	20.11.2019
9.	Order No. 18/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL)	22.11.2019



		for providing Ground Handling Services at Kolkata International Airport.	
10.	Order No. 18/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Mumbai International Airport.	22.11.2019
11	Order No. 18/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Guwahati International Airport.	22.11.2019
12	Order No. 18/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Cochin International Airport.	22.11.2019
13	Order No. 18/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Ahmedabad International Airport.	22.11.2019
14	Order No. 18/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Calicut International Airport.	22.11.2019
15.	Order No. 19/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of Mumbai Cargo Service Centre Airport Pvt. Ltd. for providing International Cargo Handling Services at Chhatrapati Shivaji International Airport, Mumbai.	18.12.2019
16.	Order No. 21/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Globe Ground India Pvt. Ltd. for providing Ground Handling Services at Kempegowda International Airport, Bengaluru.	17.01.2020
17.	Order No. 22/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India SATS Airport Services Pvt. Ltd. for providing Ground Handling Services at Trivandrum International Airport.	10.2.2020

18.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Amritsar International Airport.	14.2.2020
19.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Bhubaneswar International Airport.	14.2.2020
20.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Chandigarh International Airport.	14.2.2020
21.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Goa International Airport.	14.2.2020
22.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Jaipur International Airport.	14.2.2020
23.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Patna International Airport.	14.2.2020
24.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Pune International Airport.	14.2.2020
25.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Varanasi International Airport.	14.2.2020
26.	Order No. 23/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect	14.2.2020



		of M/s Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL) for providing Ground Handling Services at Lucknow International Airport.	
27.	Order No. 24/2019-20	In the matter of Multi Year Tariff Proposal (MYTP) and Annual Tariff Proposal (ATP) (T4 and T5) for the second control period (01.04.2016 to 31.03.2021) in respect of M/s CELEBI NAS Airport Services Pvt. Ltd. for providing Ground Handling Services at CSMI Airport, Mumbai.	17.2.2020
28.	Order No. 25/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for FY 2019-20 and FY 2020-21 of the second control period in respect of M/s Air India SATS Airport Services Pvt. Ltd. for providing Ground Handling Services at Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad.	18.2.2020
29.	Order No. 26/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for Fourth and Fifth Tariff year (01.04.2019 to 31.03.2020 & 01.04.2020 to 31.03.2021) of the second control period (01.04.2016 to 31.03.2021) in respect of M/s Kerala State Industrial Enterprises Ltd. for providing Cargo Handling Services at Trivandrum International Airport.	19.2.2020
30.	Order No. 27/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for Fourth & Fifth tariff year (FY 2019-20 & 2020-21) in respect of M/s GMR Hyderabad Air Cargo, a Division of GMR Air Cargo and Aerospace Engineering Ltd. (formerly known as Hyderabad Menzies Air Cargo Pvt. Ltd.), for providing Cargo Handling Services at RGI Airport Hyderabad.	25.2.2020
31.	Order No. 29/2019-20	In the matter of Multi Year Tariff Proposal and Annual Tariff proposal for Fourth & Fifth Tariff Year (FY 2019-20 & FY 2020-21) of the second control period in respect of M/s Globe Ground India Pvt. Ltd. for providing Ground Handling Services at RGI International Airport Hyderabad.	13.03.2020
32.	Order No. 32/2019-20	In the matter of Annual Tariff Proposal for Fourth & Fifth tariff year (FY 2019-20 & 2020-21) in respect of M/s Air India SATS Airport Services Pvt. Ltd. (AISATS) for providing Cargo Handling Services at Kempegowda International Airport (KIAL), Bengaluru.	19.03.2020

6. Monitoring of Performance Standards

One of the key functions of AERA is "to monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by the Central Government or any authority authorised by it in this behalf." Service standards are defined for Bangalore, Hyderabad, Delhi and Mumbai airports in the respective Concession Agreements.

The Authority is currently relying on the ratings given by various agencies such as ACI, Skytrax etc. appointed by the Airport Operators to monitor the performance standards at the airports.

7. Court Cases in AERA

As on 31.03.2020, 33 (Thirty Three) cases are pending in the various Courts/Tribunal in respect of various tariff orders issued by AERA. 11 new cases were filed and 10 cases were disposed of during 2019-20. The details of pending cases as on 31.03.2020 are as under:

Sl. No.	Court/Tribunal	No. of cases
1.	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)	24
2.	Supreme Court of India	05
3.	High Court of Telangana State, Hyderabad	02
4.	High Court of Delhi	01
5.	High Court of Karnataka	01
	Total cases	33

8. Administrative & Establishment matters

(a) Joining of New Officers

The strength of Officers in the Authority got increased consequent upon the recruitment drive conducted in the month of Oct-Nov 2019. Experienced and qualified officers joined the Authority on deputation to the posts of Director (Legal), Director (Policy & Statistics), Under Secretary (F&A), Under Secretary (P&A), Sr. PPS to the Chairperson and Private Secretary.

(b) Implementation of Official Language Policy of Government

All out efforts have been made by AERA to implement the Official Language Policy of the Government. In order to create conducive environment to work in Hindi in AERA, a Hindi Fortnight was organized from 14th to 30th September 2019. Various Hindi competitions were organized during the Hindi fortnight and 16 officers participated in the competitions. Cash awards and merit certificates were given to winning performers. Three Hindi workshops were organized during 01.04.2019 to 31.03.2020 for the benefit of officers/employees. 41 officers/employees had attended the workshops. Quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee of AERA have been held on regular basis during the financial year chaired by the Chairperson and attended by Members of the



Authority. Hindi Incentive Scheme has been implemented in the Authority to motivate the officers/employees to do maximum work in Hindi.

As recognition of the efforts of the Authority for promotion of work in the Official Language, the Ministry of Civil Aviation (MoCA) awarded a shield as Second Prize to the Authority for the year 2019-20.

(c) Women Welfare including Gender Budgetary Data

AERA had 14 Women employees comprising of officers/staff on deputation from various Central/State Government Organizations, loan basis from AAI and supporting staff working on outsourced basis. Adequate women welfare amenities have been made available in the office premises.

(d) Public Grievance Redressal Machinery

The Authority is registered with the Central Public Grievances portal of the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and grievances are addressed within the stipulated time.

(e) Pollution Control

The Authority encourages environmental friendly measures in Airports such as use of solar/renewable energy, water harvesting, recycling of water etc.

(f) SC/ST and OBC representation as on 31.03.2020

The Authority recruits officers & staff of AERA on deputation basis only and hence reservation policy is not directly applicable. However, officers and staff of AERA have sufficient representation from SC, ST and OBC categories.

(g) Activities for differently abled persons

AERA Website is disabled friendly. AERA is housed in a rented building belonging to Air India. However, efforts are being made such as building of ramps to ensure easy accessibility and making wash rooms etc. disabled friendly.

(h) Major Achievements

The Authority issued Consultation Paper No.30/2017-18, dated 19.12.2017 for determination of tariff of M/s Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad for 2nd Control Period. However, M/s GHIAL filed a writ petition before the Hon'ble High Court of Hyderabad and obtained stay on further proceedings of AERA. Subsequent to the withdrawal of stay, the Authority under Section 13(I) (a) of the AERA Act, 2008 issued the final tariff order determining the Aeronautical Tariff of RGIA Hyderabad for 2nd control period vide Order No.34/2019-20 dated 27.03.2020, thereby passengers have been benefited by considerable reduction in UDF from the earlier ones, which were levied since 2010.

9. Budget

Funding structure

AERA receives its funding through Grants-in-Aid from the Government. During FY 2019-20, a sum of Rs.10.88 crores was received by AERA through the Ministry of Civil Aviation. AERA does not levy or collect any fee / charges for its services.

10. Regulatory Advocacy and protection of interest of users

The Authority officials participate in seminars / workshops to disseminate information on the functions and activities of the regulatory philosophy of AERA. The Chairperson also actively participates in the Forum of Regulators to keep abreast of developments in other Regulatory Authorities.

11. Capacity Building

The Authority sends its officers & staff for training / seminar / workshop relevant to their working.

12. Accounts & Audit

Income & Expenditure Account for the FY 2019-20 and Balance Sheet as on March 31, 2020 are enclosed.



दिनांक १४ नवम्बर, २०१९ आयोजित हिन्दी पखवाड़ा २०१९ समारोहकी प्रमुख झलकियां







अध्यक्षएवं सदस्य ऐराद्वारा प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह












स्वच्छता ही सेवा







विवरण 2019-20













भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के 31.03.2020 के तुलन पत्र का वित्तीय विवरण

(राशि- रूपए)

अनुसूची 1	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
1	1 00 55 000 00	
	-1,66,55,293.00	-3,03,32,981,00
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	3,64,46,499.00	3,88,65,714.00
	1,97,91,206.00	85,32,733.00
8	21.00	20.00
9	-	-
10	-	-
11	1,97,91,185.00	85,32,713.00
	1,97,91,206.00	85,32,733.00
24		
25		
	3 4 5 6 7 8 9 10 11	3 - 4 - 5 - 6 - 7 3,64,46,499.00 1,97,91,206.00 8 21.00 9 - 10 - 11 1,97,91,185.00 1,97,91,206.00

प्रबंधन की ओर से

नाम: कर्नल मनु सूदन

पदनाम: सचिव

दिनांक:

MANU SOODEN Secretary

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का वित्तीय विवरण

(राशि- रूपए)

(राश- रूपए)						
	अनुसूची	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष			
<u> आय</u>						
विक्रय/सेवाओं से आय	12	-	-			
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	10,88,00,000.00	10,60,00,000.00			
फीस/सदस्यता शुल्क	14	-	-			
निवेश पर आय	15	-	-			
(निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय		-	-			
निधि में अंतरित)						
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-			
अर्जित ब्याज	17	-	-			
अन्य आय	18	79,161.00	87,121.00			
परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के	19	-	-			
स्टाक में वृद्धि/(कमी)						
कुल (क)		10,88,79,161.00	10,60,87,121.00			
ट्यय						
स्थापना खर्च	20	3,51,11,538.00	3,41,52,655.00			
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	21	6,00,89,935.00	6,41,24,222.00			
अनुदान और आर्थिक सहायता पर व्यय	22	-	-			
ब्याज	23	-				
কুল (অ)		9,52,01,473.00	9,82,76,877.00			
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)		1,36,77,688.00	78,10,244.00			
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-			
(प्रत्येक का उल्लेख करें)						
सामान्य आरक्षित से/में अंतरण		-	-			
अधिशेष के रूप में शेष (घाटा)		1,36,77,688.00	78,10,244.00			
कॉर्पस/प्रंजीगत निधि में ले जाया गया।						
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24					
आकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी टिप्पणियां	25					

प्रबंधन की ओर से

नाम: कर्नल मनु सूदन

पदनाम: सचिव

भूदन
MANU SOODEN
Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of India
(Ministry of Civil Aviation)

दिनांक:

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2020 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां और भुगतान

(राशि- रूपए)

प्राप्तियां	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
1. अथ शेष			1. व्यय		
क) नकद शेष			क) स्थापना खर्च (अनुसूची 20 के अनुरूप)	2,74,47,896.00	3,56,95,729.00
ख) बैंक में जमा राशि			ख) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 21 के अनुरूप)	6,15,20,394.00	6,35,47,387.00
i) चाल् खातों में (अनुसूची-11)	78,53,499.00	96,82,815.00			
ii) जमा खातों में			विक्रेता/कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	8,27,171.00	
iii) बचत खातों में					
ii) प्राप्त अनुदान			ii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के बदले किए गए भुगतान		
			(परियोजना के निए निधि का नाम प्रत्येक परियोंजना के लिए किए		
			गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)		
क) भारत सरकार से (अनुसूची- 13)	10,88,00,000.00	10,60,00,000.00			
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)					
(पूंजी और राजस्व खर्च के लिए अनुदान अलग		,			
दिखाए जाएं)					
iii निवेशों पर आय			iii) किए गए निवेश और जमा		
क) निर्धारित/अक्षय निधि से			क) निर्धारित/अक्षय निधियों में से		
ख) अपनी निधियों से (अन्य निवेश)			ख) अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य)		
iv) प्राप्त ब्याज			iv) अचल परिसंप्पतियों और चल रहे पूंजीगत कार्यो पर व्यय		
क) बैंक में जमा पर			क) अचल परिसंपत्ति की खरीद	1.00	
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) चल रहे पूंजीगत कार्यो पर व्यय		
v) अन्य आय (अनुसूची-18)	79,161.00	87,121.00	v) अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
			क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
			vi) वित्त प्रभार		
vi) उधार ली गई राशि			vii) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
			क) शुल्क और कर	79,73,184.00	86,73,321.00
vii) कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरे दें) (अनुसूची-14)			vii) अंत शेष		
			क) नकद शेष		
			ख) बैंक में जमा राशि		
			i) चालू खातों में (अनुसूची-II)	1,89,64,014.00	78,53,499.00
			ii) जमा खातों में		
			iii) बचत खातों में		
क्ल	11,67,32,660.00	11,57,69,936.00	कुल	11,67,32,660.00	11,57,69,936.00

प्रबंधन की ओर से नाम: कर्नल मनु सूदन पदनाम: सचिव दिनांक 22/12/10



(राशि- रूपए)

			(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूंजीगत निधि	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
वर्ष के आरंभ में शेष		-3,03,22,981.00	-3,81,43,225.00
जोड़ें : कॉर्पस/पूंजीगत निधि में अंशदान		-	-
जोई/(घटाएं): आय और व्यय लेखे से अंतरित		1,36,77,688.00	78,10,244.00
निवल आय/ (व्यय) की शेष राशि			
वर्ष के अंत में शेष राशि		-1,66,55,293.00	-3,03,32,981.00

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष	अनुलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आरक्षित पूंजी			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
2. पुनर्मूल्याकंन की गई आरक्षित			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
3. विशेष आरक्षित			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
4. सामान्य आरक्षित		-	
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
कुल		-	-

MANU SOODEN 22/12/20



(राशि- रूपए)

(राश- रूपए)						
अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधि	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष			
	संख्या					
(क) निधियों का अथशेष		-	-			
(ख) निधियों में परिवर्धन						
(i) दान/अनुदान		-	-			
(ii) निधियों के कारण किए गए		-	-			
निवशों से आय						
(iii) अन्य परिवर्धन		-	-			
कुल (क+ख)		-	-			
(ग) निधियों का उपयोग						
(i) पूंजीगत व्यय		-	-			
- अचल परिसंपत्तियां		-	-			
- अन्य		-	-			
कुल						
(ii) राजस्व व्यय		-	-			
- वेतन, मजूदरी और भत्ता आदि		-	-			
- किराया		-	-			
- अन्य प्रशासनिक व्यय		-	-			
कुल						
कुल (ग)		-	-			
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)		-	-			

(राशि- रूपए)

(1111-1117)						
अनुसूची ४ - सुरक्षित ऋण और उधार	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष			
	संख्या					
1. केन्द्र सरकार		-	-			
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)						
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-			
क) आवधिक ऋण		-	-			
ख) उपार्जित ब्याज और देय ब्याज		-	-			
4. बैंक :						
क) आवधिक ऋण		-	-			
उपार्जित ब्याज और देय ब्याज						
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		-	-			
उपार्जित ब्याज और देय ब्याज						
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-			
6. डिबेंचर और बांड		-	-			
7. अन्य (उल्लेख करें)		-	-			
कुल		-	-			
	-					

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5 :- असुरक्षित ऋण और उधार	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
4. बैंक :			
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बांड		-	-
7. सावधि जमा		-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 6 : - आस्थगित ऋण देनदारियां	अनुलग्नक संख्या	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		-	-
ख) अन्य		· · · · ·	-
कुल		-	-



(राशि- रूपए)

	(सांश- रूपए)		
अनुसूची 7 :- मौजूदा देयताएं और	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
प्रावधान	संख्या		
(क) मौजूदा देयताएं			
1. स्वीकृतियां		-	-
2. विविध लेनदार:			
क) माल के लिए		-	-
ख) अन्य	1	65,54,159.00	1,91,13,207.00
3. प्राप्त अग्रिम		-	-
4. ब्याज उपार्जित पंरतु देय नहीं:			
क) सुरक्षित ऋण/उधार		-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		-	-
5. सांविधिक देयताएं:			
क) अति देय		-	-
ख) अन्य	2	-	6,92,200.00
6. अन्य मौजूदा देयताएं	3	75,150.00	3,05,000.00
कुल (क)		66,29,309.00	2,01,10,407.00
(ख) प्रावधान			
1. कराधान के लिए		-	-
2. उपदान		-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण		-	-
5. व्यापार वांरटी/दावे		-	-
6. अन्य (वेतन के लिए प्रावधान)	4	2,98,17,190.00	1,87,55,307.00
कुल (ख)		2,98,17,190.00	1,87,55,307.00
कुल (क+ख)		3,64,46,499.00	3,88,65,714.00

MANU SOODEN

अनुसूची-8

		सकल ब	लाक			मूल	यहास		निवल	ब्लाक
<u>विवरण</u>	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत में	वर्ष के	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत	मौजूदा वर्ष के	पिछले वर्ष वे
)	लागत/मूल्यांकन	परिवर्धन	कटौती	लागत/मूल्यांकन	प्रारंभ में	परिवर्धन पर	कटौती पर	तक कुल	अंत में	अंत में
क. अचल परिसंपत्ति										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) तीज़ होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) भवन										
क) फ्रीहोल्ड लैंड पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) तीज़होल्ड़ तैंड़ पर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00
ग) स्वामित्व वाले प्लॉट/	-	-	-	-	-		-	-	-	-
परिसर										
घ) संस्था से असंबद्ध भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पर										
2. संयंत्र मशीनरी	1.00	-	-	1.00		-		-	1.00	1.00
और उपस्कर										
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00
6. कार्यालय उपस्कर	7.00	1.00	-	8.00	-	-	-	-	8.00	7.00
7. कम्पयूटर और बाह्य	8.00	-	-	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00
उपकरण										
8 इलेक्ट्रिक संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. टयूबवेल और पानी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
की आपूर्ति										
11. अन्य अचल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति										
चालू वर्ष का कुल	20.00	1.00	-	21.00	-	-	-	-	21.00	20.00
पिछला वर्ष	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00
مه										
ख) पूंजीगत कार्य प्रगति		-	-							
पर										
thority of India on) ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00

orts Economic Regulatory A (Ministry of Civil Avial



अनुसूची 9 :- निर्धारित/अक्षय निधियों से	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश	संख्या		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बांड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 10 : निवेश - अन्य	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बांड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
कुल		-	-

(राशि- रूपए)

0 4 0 . 0 .	(साश- रूपए)		
अनुसूची 11 : मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
और अग्रिम आदि	संख्या		
(क) मौजूदा परिसंपत्तियां			
1. वस्तु सूची (इन्वेंट्री):			
क) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे		-	-
ख) खुले औजार		-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
परिष्कृत माल			
परिष्कृत किया जा रहा माल		-	-
कच्चा माल		-	-
2. विविध देनदार			
क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया		-	-
ऋण			
ख) अन्य		-	-
3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट		-	-
सहित)			
4. बैंक में जमा राशि:			
क) अनुसूचित बैंकों में			
चाल् खातों में		1,89,64,014.00	78,53,499.00
जमा खातों में		-	-
(मार्जिन राशि शामिल)			
बचत खातों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंको में			
चाल् खातों में		-	-
जमा खातों में		-	-
(मार्जिन राशि शामिल)			
बचत खातों में		-	-
5. डाकघर बचत खाते		-	-
कुल (क)		1,89,64,014.00	78,53,499.00

MANU SOODEN



	अनुलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	संख्या		
1. ऋण :			
क) स्टाफ		-	-
ख) उस संस्था के समान गतिविधियों/		-	-
उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं			
ग) अन्य (उल्लेख करें)			
2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		-	-
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य			
अग्रिम और अन्य राशियां			
क) पूंजी खातों पर		-	-
(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)			
ख) पूर्व अदायगी		-	-
ग) अन्य	5	8,27,171.00	6,79,214.00
3. उपार्जित आय :			
क) निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर		-	-
ख) निवेश पर - अन्य		-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर		-	-
घ) अन्य		-	-
(प्राप्त न हुई देय आय सहित रू)			
4. वसूली योग्य दावा:		-	-
कुल (ख)		8,27,171.00	6,79,214.00
कुल (क+ख)		1,97,91,185.00	85,32,713.00

MANU SOODEN

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि-रूपए)

अनुसूची 12 : - बिक्री/सेवाओं से आय	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री		-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री		-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री		-	-
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार		-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं		-	-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली		-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं		-	-
(उपस्कर/संपत्ति)			
ङ) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 13 :- अनुदान/आर्थिक सहायता	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और			
प्राप्त आर्थिक सहायता)			
1) केन्द्रीय सरकार		10,88,00,000.00	10,60,00,000.00
2) राज्य सरकार (सरकारें)		-	-
3) सरकारी एजेंसियां		-	-
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		-	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		-	-
6) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		10,88,00,000.00	10,60,00,000.00

अनुसूची 14 :- शुल्क/अभिदान	अनुलग्नक संख्या	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क		-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान		-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-	-
4) जी.पी.एफ. अंशदान		-	-
5) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-


MANU SOODEN

(राशि- रूपए)

	निर्धारित निधि से निवेश		अन्य	निवेश
अनुसूची - 15 निवेशों से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निर्धारित निधि में अंतिरत अक्षय निधि से निवेश पर आय)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-		
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-		
2. તામાંશ				
क) शेयर पर	-			
ख) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-		
3. किराया	-	-		
4. अन्य (उल्लेख करें)	-	-		
कुल	-	-		

निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित

MANU SOODEN



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

अनुसूची 16 : रायल्टी, प्रकाशन आदि से	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
आय	संख्या		
1) रायल्टी से आय		-	-
2) प्रकाशनों से आय		-	-
3) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

(राशि- रूपए)

अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज	अनुलग्नक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
3 1	संख्या		
1. सावधि जमा राशियों पर			
क) अनुसूचित बैंकों के पास		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास		-	-
ग) संस्थाओं के पास		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों के पास		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास		-	-
ग) डाकघर बचत खाता			
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदार और अन्य प्राप्य राशियों पर		-	-
ब्याज			
कुल		-	-

अनुसूची 18: अन्य आय	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		-
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर			
लाभ:			
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		-	-
ख) अनुदान से अर्जित या मुफ्त में		-	-
प्राप्त परिसंपत्तियां			
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त		-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	6	79,161.00	87,121.00
4. विविध आय		-	-
कुल		79,161.00	87,121.00



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

अनुसूची 19 : तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टाक में	अनुलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वृद्धि/कमी			
क) अंतिम स्टॉक			
- तैयार माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
ख) घटाएं - आरंभिक स्टॉक		-	-
- तैयार माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)		-	-

अनुसूची 20 : स्थापना खर्च	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
क) वेतन और मजदूरी	7	3,51,11,538.00	3,41,52,655.00
ख) भत्ते और बोनस		-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान		-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान		-	-
(उल्लेख करें)			
ड.) स्टाफ कल्याण खर्च		-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और			
सेवांत लाभों पर खर्च			
छ) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		3,51,11,538.00	3,41,52,655.00

MANU SOODEN

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

	(राशि- रूपए)		
अनुसूची 21 : अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	अनुलग्नक	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
	संख्या		
क. खरीद		-	-
ख. श्रम और प्रसंस्करण खर्च		-	-
ग. ढुलाई और माल भाड़ा		-	-
घ. बिजली और ऊर्जा		17,11,579.00	21,78,500.00
ड. पानी प्रभार		-	-
च. बीमा		-	-
छ. मरम्मत और अन्रक्षण		15,930.00	14,40,194.00
ज. उत्पाद शुल्क		-	-
झ. किराया, दर और कर		1,05,21,361.00	99,37,181.00
ञ. वाहन चालन और अनुरक्षण खर्च		-	-
ट. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		7,77,782.00	8,69,841.00
ठ. मुद्रण तथा लेखन सामग्री		1,46,572.00	3,41,673.00
ड. यात्रा और वाहन खर्च		8,24,700.00	25,99,182.00
ढ. संगोष्ठी/कार्यशाला पर खर्च		-	-
ण. अभिदान खर्च		4,00,000.00	-
त. शुल्क पर खर्च		-	-
थ. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक		7,97,758.00	2,01,420.00
द. आतिथ्य खर्च		603.00	2,400.00
ध. व्यावसायिक प्रभार		96,28,973.00	1,79,83,421.00
न. अशोध्य और संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		-	
प. बट्टे खाते में डाली गई वसूल न किए जाने योग्य शेष राशि		-	
फ. पैकिंग प्रभार		-	
ब. माल भाइा और अग्रेषण खर्च		-	
भ. वितरण खर्च		-	
म. विज्ञापन और प्रचार		25,21,003.00	15,48,735.00
य. अन्य	8	3,27,43,674.00	2,70,21,675.00
कुल		6,00,89,935.00	6,41,24,222.00

MANU SOODEN



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 22 : अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	अनुलग्नक संख्या	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया		-	-
अनुदान			
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई		-	-
आर्थिक सहायता			
कुल		-	-

अनुसूची 23 : ब्याज	अनुलग्नक संख्या	चाल् वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर	(104)	_	_
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

भारतीय विमानपपत्त्न आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण ****

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुस्चियां अनुसूची -24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

लेखांकन परंपरा

जब तक कि अन्यथा न बताया जाए और लेखांकन की पद्धति में न कहा जाए, वित्तीय विवरण पुरानी लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. वस्तु सूची मूल्याकंन

- 2.1 सामान और अतिरिक्त प्जों (मशीनरी के अतिरिक्त प्जों सिहत) का लागत पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- 2.2 कच्चा माल. अर्द्ध परिष्कृत माल और परिष्कृत माल का कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। लागतें परिष्कृत माल और अर्द्ध परिष्कृत माल की भारित औसत लागत पर आधारित होती हैं और इनका निर्धारण सामग्री. श्रम और संबंधित ऊपरी खर्च को ध्यान में रखकर किया जाता है।

一日本

- 3.1 "दीर्घावधिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से भिन्न कमी का प्रावधान, ऐसे निवेशों की लागत को शामिल कर किया जाता है।
- 3.2 'चाल्' के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य संबंधी कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप में किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।
- 3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टांप जैसे अधिग्रहण के खर्च शामिल हैं।

उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

अचल परिसंपत्ति

- 5.1 अचल परिसंपित्तियां सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से खरीदी जाती हैं। लेखांकन मानक 12 के अनुसार, परिसंपित्तियों को परिसंपित्ति की खरीद के वर्ष में आय और व्यय के खाते में अंतरित किया जाता है।
- 5.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्ति को (कॉर्पस निधि से भिन्न) आरक्षित पूंजी के लिए तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा कथित मूल्य पर आरिक्षत पूंजी में परिणत किया जाता है।

मूल्यहास

- 6.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से खरीदी गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता।
- 6.2 आयकर अधिनियम की दरों के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है और तदनुरूपी अनुदान को आरक्षित पूंजी से होने वाली आय और व्यय के खाते में भी डाला जाता है। 5,000/- रूपए या इससे कम की लागत वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मुल्यहास किया जाता है।

7. विविध खर्च

आस्थिगित राजस्व व्यय को इसे वहन किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

H3 21 8-6



8. बिक्री के लिए लेखांकन

लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

- 9.1 परियोजना स्थापन की पूंजीगत लागत के लिए योगदान स्वरूप वाले सरकारी अनुदानों को आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है।
- 9.2 अधिग्रहित की गई विशिष्ट अचल परिसंपत्ति संबंधी अनुदानों को संबंधित परिसंपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।
- 9.3 सरकारी अन्दान/आर्थिक सहायता प्राप्ति के आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

10. विदेशी मुद्रा लेन देन

- 10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन, मुद्रा के लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किए जाते हैं।
- 10.2 वर्तमान परिसंपित्तयों, विदेशी मुद्रा ऋणों और मौजूदा देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचितत विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता हैं। परिणामी लाभ/हानि को अचल परिसंपित्त की लागत में समायोजित किया जाता है, यि विदेशी मुद्रा देयता अचल परिसंपित्त से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व के लिए मानी जाती है।

11. <u>पट्टा (लीज)</u>

11.1 लीज़ की शर्तों के अनुसार लीज़ का किराया दिया जाता है।

12. <u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>

- 12.1 कर्मचारियों की मृत्यु/ सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निकाली जाती है।
- 12.2 कर्मचारियों के लिए संचित छुट्टी के नगदीकरण के लाभ की व्यवस्था की जाती है और इसका हिसाब प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के आधार पर लगाया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: कर्नल मनु सूदन

पदनाम: सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

अनुसूची 25- आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां

1.	आकस्मिक देयताएं	शून्य
2.	पंजीगत प्रतिबद्धताएं	शुन्य

लीज दायित्व :

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त लीज़ व्यवस्थाओं के अंतर्गत किराए के लिए भावी दायित्वों की राशि रूपए में **शृन्य**

4. वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य कारोबार की सामान्य अविध में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह त्लन पत्र में दर्शायी गई कम से कम करार की गई राशि के बराबर होता है।

5. **कराधान:**

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय करयोग्य नहीं है, इसलिए आयकर का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया।

6.	विदेशी मुद्रा लेन-देन	<u>चाल् वर्ष</u>	पिछला वर्ष
6.1	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य - परिष्कृत माल की खरीद - कच्चा माल और उपस्कर - पूंजीगत माल - स्टोर, अतिरिक्त पुर्जें और उपभोज्य वस्तुएं	श्र्च्य	शून्य
6.2	विदेशी मुद्रा में व्यय क) यात्रा ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज की अदायगी	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	ग) अन्य व्यय - बिक्री पर कमीशन	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	- विधिक और व्यावसायिक खर्च	श्नय	श्नय
0.0	- विविध खर्च	शून्य	शून्य
6.3	आय: एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

MANU SOODEN

Secretary

Airports Economic Regulatory Authority of India



6.4 सीएजी लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखा परीक्षकों के लिए

3,00,000.00

3,00,000.00

- कराधान मामले

- प्रबंधन सेवाओं के लिए

- प्रमाणीकरण के लिए

अन्य

शून्य

शून्य

- 7. पिछले वर्ष के तद्नुरूपी (Corresponding) आंकड़ों का आवश्यकतानुसार पुन: समूह बनाया गया और पुन: व्यवस्थित किया गया है।
- 8. संलग्न 1 से 25 तक की अनुसूचियां दिनांक 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के खाते का अभिन्न भाग हैं।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: कर्नल मनु सूदन

पदनाम: सचिव

MANU SOODEN

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

- 1. हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(2) के साथ पिठत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), नई दिल्ली के उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र और आय एवं व्यय के लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने की है।
- 2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन के मानकों और प्रस्तुत करने के मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां है। कानून, नियमों और विनयमों (औचित्य और नियमितता) और कार्यकुशलता तथा कार्य निष्पादन के पहुलओं आदि, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।
- 3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं कि इन वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक गलतबयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशियों के सर्मथन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में उन्हें दर्शाया जाना शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण करना और प्रबंधन द्वारा किए किए गए महत्वपूर्ण आकलनों तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्याकंन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारे मत के लिए उपुयक्त आधार दिया गया है।
- 4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:
- (i) हमने सभी प्रकार की ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय का लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किया गया है।
- (iii) हमारी राय में, ऐसी लेखा बिहयों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(1) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा उचित लेखा बिहयों और अन्य संबद्ध रिकॉर्डों का रखरखाव किया गया है।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि:



क) सामान्य

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-24) अचल परिसंपत्तियां (नीति संख्या 5):

अचल परिसंपत्तियों संबंधी उपर्युक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति लेखांकन मानक 12 – सरकारी अनुदानों का लेखांकन, के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की प्रस्तुति की निर्धारित विधि के अनुरूप नहीं है।

ख) आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां (अनुसूची-25) पूंजीगत वचनबद्धता:

उपर्युक्त में सफदरजंग एयरपोर्ट पर डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी और ऐरा के लिए संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालयों के निर्माण के संबंध में पूंजीगत वचनबद्धताओं के कारण 18.38 करोड़ रूपए (ऐरा का हिस्सा) की राशि शामिल नहीं है।

ग) सहायता अनुदान:

वर्ष 2019-20 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 1088 लाख रूपए का कुल अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1.4.2019 को 54.38 लाख रूपए के अनुदान की अप्रयुक्त शेष राशि थी। इस 1142.38 लाख रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा ने 2019-20 के दौरान केवल 967.56 लाख रूपए खर्च किए और 174.82 लाख रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है)।

- (v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, खाता बहियों के अनुसार हैं।
- (vi) हमारे विचार में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों के अधीन भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा ये सही एवं स्पष्ट स्थिति को दर्शाते हैं:-
 - क) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति का तुलन पत्र 31.03.2020 से संबंधित है; और
 - ख) यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा की अधिशेष राशि से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से ह/-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08 दिसम्बर, 2020

(रिना अकोइजम) प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (अवसंरचना) नई दिल्ली

संलग्नक

(वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक)

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किमयां देखी गई थी अर्थात प्रचलित लेखांकन पद्धितयों के अनुसार पुरानी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई आय को लेखा में शामिल न करना, पुरानी देयताओं की समीक्षा न करना, सहायक प्राप्ति वाउचर के बिना बैंक अदायगियों को उलट देना और अग्रिम (डीआर) को ऋणात्मक शेष राशि के रूप में देयताओं (सीआर) के अंतर्गत दिखाया गया था। अत: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ किए जाने की जरूरत है।

3. अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

कोई वस्तु सूची नहीं है।

5. सांविधिक देय राशि की अदायगी में नियमितता


सांविधिक देय राशि समय पर अदा की गई थीं।



दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब


पैरा सं.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीक	एच एम संख्या	प्राधिकरण का जवाब
क	सामान्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-24) अचल परिसंपत्तियां (नीति संख्या 5) अचल परिसंपत्तियों संबंधी उपर्युक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति लेखांकन मानक 12-सरकारी अनुदानों का लेखांकन, के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की प्रस्तुति की निर्धारित विधि के अनुरूप नहीं है।	1	प्राधिकरण में गत वर्षों में अपनाई गई लेखांकन पद्धति के अनुसार अचल परिसंपित्तियां 1 रूपया मूल्य निर्धारित कर अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज की जा रही है और शेष राशि खरीद वाले वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाई जा रही है। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणियां भावी अनुपालन के लिए नोट कर ली गई हैं।
ख	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां (अनुसूची-25) पूंजीगत वचनबद्धता: उपर्युक्त में सफदरजंग एयरपोर्ट पर डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी और ऐरा के लिए संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालयों के निर्माण के संबंध में पूंजीगत वचन बद्धताओं के कारण 18.38 करोड़ रूपए (ऐरा का हिस्सा) की राशि शामिल नहीं है।	2	नागर विमानन मंत्रालय ने पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन – शीर्ष के अंतर्गत कभी भी कोई निधि आबंटित नहीं की है। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत निधियां जारी करने से संबंधित मामला नियमित रूप से मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। पंरतु लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियां नोट कर ली गई है और तथ्यों को लेखा टिप्पणियों के माध्यम से उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।
ग	सहायता अनुदान: वर्ष 2019-20 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 1088 लाख रूपए का कुल अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1.4.2019 को 54.38 लाख रूपए के अनुदान की अप्रयुक्त शेष राशि थी। इस 1142.38 लाख रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा ने 2019-20 के दौरान केवल 967.56 लाख रूपए खर्च किए और 174.82 लाख रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची।	5	प्रस्तुत किए गए आंकड़े सही है।

	पृथक लेखापरीक्षा	रेपोर्ट का संलग्नक
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।	ऐरा की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रधान लेखा कार्यालय, नागर विमानन मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा की जाती है। राष्ट्र व्यापी कोविड-19 लॉकडाऊन और सामाजिक दूरी संबंधी मानदंड़ों के कारण मार्च, 2020 से सभी सरकारी कार्यालयों में काम धीमी गति से हो रहा है। संभवत: इसी कारण से आंतरिक लेखा परीक्षा दल ने अभी तक वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए ऐरा कार्यालय का दौरा नहीं किया है। तथापि वर्ष 2019-20 के लिए शीघ्रातिशीघ्र लेखापरीक्षा करने के लिए मामला आंतरिक लेखा परीक्षा दल के साथ उठाया जा रहा है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किमयां देखी गई थी अर्थात प्रचालित लेखांकन पद्धतियों के अनुसार पुरानी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई आय को लेखा में शामिल न करना, पुरानी देयताओं की समीक्षा न करना, सहायक प्राप्ति वाउचर के बिना बैंक अदायगियों को उलट देना और अग्रिम (डी आर) को ऋणात्मक शेष राशि के रूप में देयताओं के अंतर्गत दिखाना। अत: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ किए जाने की जरूरत है।	टिप्पणियां भावी अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है।
3.	अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।	वस्तु स्थिति नोट की गई है।
4.	वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली कोई वस्तु सूची नहीं है।	वस्तु स्थिति नोट की गई है।
5.	सांविधिक देय राशि की अदायगी में नियमितता सांविधिक देय राशि समय पर अदा की गई थीं।	वस्तु स्थिति नोट की गई है।



2019-20







FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS / CAPITAL FUND	1	-1,66,55,293.00	-3,03,32,981.00
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND	. 3	-	-
SECURED LOANS BORROWINGS	4	-	- 1
UNSECURED LOANS BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	3,64,46,499.00	3,88,65,714.00
TOTAL		1,97,91,206.00	85,32,733.00
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	21.00	20.00
INVESTMENT-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENT-OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	1,97,91,185.00	85,32,713.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		-	-
(To the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		1,97,91,206.00	85,32,733.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

On behalf of management

Name: Col MANU SOODEN

Designation: SECRETARY

Date:

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

	SCHEDULE	CURRENT VEAR	(AMOUNT RS.)
	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
INCOME			
INCOME FROM SALES / SERVICES	12		-
GRANTS / SUBSIDIES	13	10,88,00,000.00	10,60,00,000.00
FEES / SUBSCRIPTIONS	14	-	-
INCOME FROM INVESTMENTS	15	-	-
(INCOME ON INVEST. FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUND		_	_
TRANSFERRED TO FUND)			
INCOME FROM ROYALTY ,PUBLICATION ETC.	16	-	-
INTEREST EARNED	17	-	-
OTHER INCOME	18	79,161.00	87,121.00
INCREASE /(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN			
PROGRESS	19	-	-
TOTAL (A)		10,88,79,161.00	10,60,87,121.00
EXPENDITURE			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	3,51,11,538.00	3,41,52,655.00
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	21	6,00,89,935.00	6,41,24,222.00
EXPENDITURE ON GRANTS AND SUBSIDIES	22	-	-
INTEREST	23	-	-
TOTAL (B)	 	9,52,01,473.00	0 92 76 977 00
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		1,36,77,688.00	9,82,76,877.00 78,10,244.00
Transfer to Special Reserve (Specify each)		1,36,77,688.00	78,10,244.00
Transfer to / from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS /CAPITAL		-	-
FUND		4 26 77 600 00	70.40.04
TORD	-	1,36,77,688.00	78,10,244.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		
	1 /5	1	I

On behalf of management

Name: Col MANU SOODEN
Designation: SECRETARY

Date:

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Opening Balances	COMMENT TEAM	THE THE STEAM	I. Expenses	DOTTILL TEAT	
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	2,74,47,896.00	3,56,95,729.00
a) costi ili tiono			b) Administrative Expenses (corresponding to	2,, 1, 1., 1000100	0,00,00,00
b) Bank Balances			schedule 21)	6,15,20,394.00	6,35,47,387.00
i) in current accounts (Schedule 11)	78,53,499.00	96,82,815.00	33.1534.16 227	0,13,20,334.00	0,55,17,567.66
ii) in deposit accounts	, 0,55, 155,00	30,02,013.00	Advance Payments to Vendors /Employees	8,27,171.00	
iii) Savings accounts			Advance rayments to ventions / Employees	0,27,171.00	
in savings accounts					
II.Grants Received			II.Payment made against funds for various projects		
a) From Government of India (Schedule 13)	10,88,00,000.00	10,60,00,000.00	(Name of the fund for project should be shown along with		
b) From State Government	20,00,00,000.00	20,00,00,000.00	the particulars of payments made for each project)		
c) From other sources(details)			the particulars of payments made for each project/		
(grant for capital & revenue exp					
to be show separately)					
to be snow separately)					
III.Income on Investments from			III Investments and deposits made		
a) Earmarked/Endow. Funds			a) Out of Earmarked/Endowment funds		
b) Own funds(oth.investment)			b) Out of Own Funds(Investments-Others)		
b) Own runds(otn.investment)			b) Out of Own Funds(investments-Others)		
IV.Interest Received			IV.Expenditure on Fixed Assets & Capital Work -in-progress		
a) On Bank Deposits			a) Purchase of Fixed Assets	1.00	
b) Loans, Advances etc.			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	1.00	
b) Loans, Advances etc.			b) expenditure on Capital Work-In-progress		
V.Other Income (Schedule 18)	79,161.00	87,121.00	V.Refund of surplus money/Loans		
			a) To the Government of India		
			b) To the State Government		
			c) To the Other providers of fund		
			,		
			VI.Finance Charges		
VI. Amount Borrowed			Vii. Other Payments(Specify)		
			a) Duties and Taxes	79,73,184.00	86,73,321.00
VII. Any other receipts (Schedule 14)	-				
			Viii. Closing Balances		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances		
			i)In current accounts (schedule 11)	1,89,64,014.00	78,53,499.00
			ii)In deposits accounts	,	
			iii)savings Accounts		
Total	11,67,32,660.00	11,57,69,936.00	Total	11,67,32,660.00	11,57,69,936.00

Name: Col MANU SOODEN

Designation: SECRETARY Secretary
Date: (Ministry of Civil Aviation)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

			(ANIOUNT IXS.)
SCHEDULE 1- CORPUS / CAPITAL FUND	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Balance as at the beginning of the year		-3,03,32,981.00	-3,81,43,225.00
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund		-	-
Add/ (Deduct) : Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income			
and Expenditure Account		1,36,77,688.00	78,10,244.00
BALANCE AT THE YEAR END		-1,66,55,293.00	-3,03,32,981.00

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS Y	YEAF
1. Capital Reserve				
As per last Account		_		-
Addition during the year				-
Less : Deduction during the year		-		-
2. Revaluation Reserve				
As per last Account				_
Addition during the year				_
Less : Deduction during the year		-		-
3. Special Reserve				
As per last Account				_
Addition during the year		· <u>.</u>		_
Less : Deduction during the year		-		-
4. General Reserve				
As Per last Account				_
Addition during the year				-
Less : Deduction during the year		-		-
TOTAL		_		

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of the Funds b) Additions to the Funds		-	-
i) Donations/Grants		-	-
ii) Income from Investments made on account of funds iii) Other additions		-	-
Total (a+b)		-	-
c) Utilisation of Funds i) Capital Expenditure - Fixed Assets - Others Total		- - -	, <u>-</u>
ii) Revenue ExpenditureSalaries, Wages and allowances etc.RentOther Administrative expensesTotal		- - -	:
Total (C)		-	
NET DALANCE AS A TENTO TO THE STATE OF THE S			
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)		-	-



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Central Government State Government (Specify)			-
Financial Institutions a) Terms Loans		-	-
b) Interest accrued and due 4. Banks :		-	-
a) Terms Loans Interest accrued and due b) Other Loans (Specify)		-	-
Interest accrued and due		-	· -
Other Institutions and agencies Debentures and bonds		-	-
7. Others (Specify)		-	-
TOTAL		-	-

Note: Amount due within one year

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Central Government			
		-	-
2. State Government (Specify)		-	-
3. Financial Institutions		-	- 1
4. Banks :			
a) Terms Loans			
b) Other Loans (Specify)			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_
5. Other Institutions and agencies		_	
6. Debentures and bonds			
7. Fixed Deposits		-	
		-	- 1
8. Others (Specify)		-	-
TOTAL			

Note: Amount due within one year

SCHEDULE 6 - DEFFERED CREDIT LIABILITIES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets b) Others		-	
TOTAL		-	

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020


(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A) CURRENT LIABILITIES			
1. Acceptances		-	-
2. Sundry Creditors :			
a) For Goods		-	-
b) Others	1	65,54,159.00	1,91,13,207.00
3. Advances Received		-	-
4. Interest accrued but not due on :			
a) Secured Loans/ borrowings		-	-
b) Unsecured Loans/ borrowings		-	-
5. Statutory Liabilities :			
a) Over due		-	-
b) Others	2	-	6,92,200.00
6. Other Current Liabilities	3	75,150.00	3,05,000.00
TOTAL (A)		66,29,309.00	2,01,10,407.00
B) PROVISIONS			
1. For Taxation		_	_
2. Gratuity			
3. Superannuation/Pension			
Superarridation/Pension Accumulated Leave Encashment			
Accommissed Leave Encashment Trade Warranties/Claims		-	_
		2.00.17.100.00	1 07 55 307 00
6. Other (Provision for Salary)	4	2,98,17,190.00	1,87,55,307.00
TOTAL (B)		2,98,17,190.00	1,87,55,307.00
TOTAL (A.B.)		2 54 45 400 00	2 00 05 744 00
TOTAL (A+B)		3,64,46,499.00	3,88,65,714.00

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31.03.2020

Schedule-8

		GROSS I	BLOCK		DEPRECIATION				NET BLOCK	
DESCRIPTION	Cost/Valuation as at beginning of the year	additions during the year	Deduction during the year	Cost / Valuation at the end year	As at the beginning of the year	On Addition s during the year	On Deduction s during the year	Total up to the year end	As at the Current year end	As at the Previous year end
A.FIXED ASSESTS				-						
1. LAND	1									
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	,-	-	-	-
2. BUILDINGS		-								
a) On Freehold Land	-		-	-	-	-		-		-
b) On Leasehold Land	1.00		-	1.00		-	-	-	1.00	1.00
c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity			-							
	-	-		-		-	-	-	-	-
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	1.00	-	-	1.00		-	-	-	1.00	1.00
4. VEHICLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FURNITURE, FIXTURES	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00
6. OFFICE EQUIPMENT	7.00	1.00	-	8.00	-	-	-	-	8.00	7.00
7.COMPUTER/PERIPHERALS	8.00	-	-	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00
8. ELECTRIC INSTALLATIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.LIBRARY BOOKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. TUBEWELLS & W.SUPPLY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. OTHER FIXED ASSESTS	-	-	-	-	-		-	-	-	- 1
TOTAL OF CURRENT YEAR	20.00	1.00	-	21.00			-		21.00	20.00
DDE WOUS VEAR	20.00			20.00					30.00	20.00
PREVIOUS YEAR	20.00	-	-	20.00			-	-	20.00	20.00
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS										
TOTAL	20.00	-	-	20.00		-	-	-	20.00	20.00



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

SCHEDULE 9: INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
Debentures and bonds		-	-
5. Subsidiaries and joint ventures		-	-
6. Others (to be Specified)		-	-
TOTAL			

SCHEDULE 10: INVESTMENTS- OTHERS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS	YEAR
In Government Securities		-		-
2. Other approved Securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and bonds		-		-
5. Subsidiaries and joint ventures		-		-
6. Others (to be Specified)		-		-
TOTAL		- /		-

MANU SOODEN



SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

			(AMOUNT Rs.)
SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A.) CURRENT ASSETS			
1. Inventories :			
a) Stores and Spares		_	_
b) Loose Tools		_	
c) Stock in Trade			
Finished Goods		_	
Work-in-Progress			-
Raw Materials		_	
2. Sundry Debtors :			
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months		-	-
b) Others		-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		-	_
4. Bank Balances :	,		
a) With Schedule Bank			
On Current Accounts		1,89,64,014.00	78,53,499.00
On Deposit Accounts (includes margin money)		-	-
On Savings Accounts		-	-
b) With non Schedule Bank			
On Current Accounts		-	-
On Deposit Accounts (includes margin money)		-	-
On Savings Accounts		-	-
5. Post Office Savings Accounts			-
TOTAL (A)		4 00 04 044 00	70.52.400.00
TOTAL (A)		1,89,64,014.00	78,53,499.00
B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS			
1. LOANS :			
a) Staff			
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that			
of the Entity			_
c) Other (Specify)		_	_
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind		_	
for value to be received :			
a) On Capital Account (Airport Authority of India)			
b) Prepayments			
c) Others	5	8,27,171.00	6,79,214.0
3. Income Accrued :			
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund			-
b) On Investment - Others			-
c) On Loans and Advances			
d) Others		-	
(includes income due unrealized Rs)			
4. Claim Receivable :		-	-
TOTAL (B)		8,27,171.00	6,79,214.0
TOTAL (A+B)		1,97,91,185.00	85,32,713.00

0

MANU SOODEN
Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of
(Ministry of Civil Aviation)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

			(///////////	,
SCHEDULE 12: INCOME FROM SALES / SERVICES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS Y	EAR
Income from Sales				
a) Sale of Finished Goods		-		-
b) Sale of Raw Material		-		-
c) Sale of Scraps		-		-
2. Income from Services				
a) Labour & Processing Charges		-		-
b) Professional / Consultancy Services		-		-
c) Agency Commission and brokerage				-
d) Maintenance Services (Equipment / property)		-		-
e) Other (Specify)				-
TOTAL		-		-

SCHEDULE 13: GRANTS / SUBSIDIES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
Central Government		10,88,00,000.00	10,60,00,000.00
State Government (s)	- 1	-	_
Government Agencies	1	_	_
Institutions / Welfare Bodies			
5. International Organisations	1	_	
6. Others (Specify)	1	-	-
TOTAL		10,88,00,000.00	10,60,00,000.00

SCHEDULE 14: FEES / SUBSCRIPTIONS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
 Entrance Fees Annual Fees / Subscriptions Seminar / Program Fees GPF Subscription Others (Specify) 		- - - - -	:
TOTAL			/ .

MANU SOODEN

Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of Ind.
(Ministry of Civil Aviation)

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA


SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31.03.2020

(AMOUNT Rs.)

	Investment fr	om Earmarked	Investme	ent Others
SCHEDULE 15: INCOME FROM INVESTMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Income on investment from Earmarked / Endowment fund transferred to fund)				
1. Interest				
a) On Government Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-	-	-
2. Dividend				
a) On Share	-	-	-	-
b) On Mutual Fund Securities	٠ .	-	-	-
3. Rents	-	-		-
4. Others (Specify)	· -	-	-	-
TOTAL	_	_	_	_
	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

MANU SOODEN
Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of India



SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE 16: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Income from Royalty Income from Publications Others (Specify)		-	
TOTAL			

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 17: INTEREST EARNED	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS	
1. On Term Deposits :				
a) With Schedule Banks		-		-
b) With non-Schedule Banks		-		-
c) With Institutions		-		-
d) Others		_		-
2. On Savings Accounts :				
a) With Schedule Banks		_		_
b) With non-Schedule Banks				_
c) Post Offices Savings Account		_		-
d) Others		_		_
3. On Loans :				
a) Employees / Staff		_		-
b) Others		-		-
4. Interest on Debtors and other Receivables		-		-
TOTAL		-		

SCHEDULE 18: OTHER INCOME	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1.Profit on sale / disposal of assets: a) Owned assets b) Assets acquired out of grants, or received free of cost 2. Exports incentives realized 3. Fees for Miscellaneous Services 4. Miscellaneous Income	6	- - - 79,161.00 -	- - - 87,121.00 -
TOTAL		79,161.00	/ 87,121.00

MANU SOODEN

Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of India
(Ministry of Civil Aviation)



SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a).Closing Stock - Finished Goods - Work-in-progress b). Less: Opening Stock - Finished Goods - Work-in-progress		-	:
NET INCREASE / (DECREASE) (A-B)		-	

SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages b) Allowances and Bonus c) Contribution to Provident Fund d) Contribution to other fund (Specify) e) Staff Welfare Expenses f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits g) Others (Specify)	7	3,51,11,538.00	
TOTAL		3,51,11,538.00	3,41,52,655.00

(AMOUNT Rs.)

(AMOUNT Rs.)			
SCHEDULE 21: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Purchases			
1,			-
			-
c) Cartage and carriage inwards			-
d) Electricity and power		17,11,579.00	21,78,500.00
e) Water Charges			-
f) Insurance		-	-
g) Repairs and maintenance		15,930.00	14,40,194.00
h) Excise Duty			-
i) Rent, Rates and Taxes		1,05,21,361.00	99,37,181.00
j) Vehicle Running & maintenance Exps.			-
k) Postage, Telephone and Communication charges		7,77,782.00	8,69,841.00
Printing and stationery		1,46,572.00	3,41,673.00
m) Travelling and Conveyance Expenses		8,24,700.00	25,99,182.00
n) Expenses on Seminar/Workshops			
o) Subscription Expenses		4,00,000.00	-
p) Expenses on Fees		-	-
q) Auditors Remuneration		7,97,758.00	2,01,420.00
r) Hospitality Expenses		603.00	2,400.00
s) Professional Charges		96,28,973.00	1,79,83,421.00
t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances			
u) Irrecoverable Balance Written Off			-
v) Packing Charges			-
w) Freight and forwarding Expenses			_
x) Distribution Expenses			-
y) Advertisement and publicity		25,21,003.00	15,48,735.00
z) Others	8	3,27,43,674.00	2,70,21,675.00
			_, _,_,
TOTAL		6,00,89,935.00	6,41,24,222,00

SCHEDULE 22: EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YE	EAR
a) Grants given to Institutions / Organisations		-		-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations				-
TOTAL		-		_

SCHEDULE 23: INTEREST	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) On Fixed Loans b) On Other Loans (Including Bank Charges) c) Others (Specify)			- - -
TOTAL		11/5/	

MANU SOODEN

Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of Inc
(Ministry of Civil Aviation)

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. <u>INVENTORY VALUATION</u>

- 2.1 Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.
- 2.2 Raw material, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

3. **INVESTMENTS**

- 3.1Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 3.3 Cost includes acquisition expansion like brokerage, transfer stamps.

4. **EXCISE DUTY** Not Applicable

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are purchased out of Grants in aid received from government. According to Accounting Standard 12, the assets are transferred to Income and Expenditure Account in the year of purchase of asset.

Secretary
irports Economic Regulatory Authority of Indi



5.2 Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than towards the corpus fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital reserve.

6. <u>DEPRECIATION</u>

- 6.1 No Depreciation is charged on the assets purchased from the Grants in aid received from Government.
- 6.2 The depreciation is charged on the Fixed assets received by way of non-monetary grants as per rates of income tax act and corresponding grant is also credited to income and expenditure account from capital reserve. Assets costing Rs 5,000/- or less are fully depreciated in the year of acquisition.

7. MISCELLANEOUSEXPENSES

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the date it incurred.

8 ACCOUNTING FOR SALES Not Applicable

9 GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES

- 9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve.
- 9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the relation assets.
- 9.3 Government Grants / Subsidy are accounted on realization basis.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the time of transaction.
- 10.2 Current assets, foreign currency loans and currents liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year end. The resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other case is considered to revenue.

Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of Indi
(Ministry of Civil Aviation)

11. <u>LEASE</u>

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFITS

- 12.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is taken on accrued basis on actuarial valuation.
- 12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption are entitled to receive the benefit as at each year end.

Place: New Delhi

Name: Col MANU SOODEN
Designation: SECRETARY

MANU SOODEN
Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of India
(Ministry of Civil Aviation)



SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.3.2020

SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

- 1. **CONTINGENT LIABILITIES** NIL
- 2. **CAPITAL COMMITMENTS** NIL

3. **LEASE OBLIGATIONS**

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amounts to Rs. Nil.

4. CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the agreement amount shown in the balance sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-Tax act 1961, no provision for income tax has been made

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS CURRENT YEAR PREVIOUS YEAR

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. BASIS NIL NIL

- Purchase of finished goods
- Raw Materials & Components
- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables

6.2 Expenditure in foreign currency:

/
ice and interest payment to
l institutions/banks
n currency- NIL NIL
penditure /// NIL NIL
ssion on sales MANU SOODEN NIL NIL
Secretary
Airports Economic Regulatory Authority of (Ministry of Civil Aviation)
or currency- senditure ssion on sales MANU SOODEN NIL NI NI NI NI NI

-legal and professional expenses

NIL

NIL

- Miscellaneous expenses

NIL

NIL

6.3Earnings:

Value of exports on FOB

NIL

NIL

6.4. Remuneration to C & AG Auditors

As Auditors

3,00,000.00 3,00,000.00

- **Taxation Matters**
- For Management Services
- For certification

Others

NIL

NIL

- 7. Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged whenever necessary.
- 8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the balance sheet as at 31.03.2020 and the income and expenditure account for the year ended on that date.

Place: New Delhi

Name: Col MAN SOODEN

Designation: SECRETARY
Airports Economic Regulatory Authority of India
(Ministry of Civil Aviation)

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

- 1. We have audited the attached Balance Sheet of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), New Delhi as at 31 March 2020 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 35(2) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. These financial statements are the responsibility of the AERA's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed by the Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Airports Economic Regulatory Authority of India as required under section 35 (1) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that:

A. General

Significant Accounting Policies (Schedule 24)

Fixed Assets (Policy No. 5):

The above significant accounting policy in respect of fixed assets is not in conformity with the prescribed method of presentation of fixed assets as per Accounting Standard 12

- Accounting for Government Grants.

B. Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule 25)

Capital commitments:

The above does not include Rs.18.38 crore (AERA's share) on account of Capital Commitments in respect of construction of combined operational offices for DGCA,

BCAS, AAIB and AERA at Safdarjung Airport.

C. Grants- in- Aid

During the year 2019-20, AERA received a total grant of Rs.1088 lakh from the Ministry

of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of Rs.54.38 lakh as on 01.04.2019.

Out of this total grant of Rs.1142.38 lakh, AERA could utilize Rs.967.56 lakh only

during 2019-20, leaving an unspent balance of Rs.174.82 lakh (Data as per utilisation

certificate submitted to Administrative Ministry).

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet

and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this

report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given

to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes

to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters

mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in

conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Airports

Economic Regulatory Authority of India as at 31 March 2020; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Accounts of the surplus for the year

ended on that date.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(Rina Akoijam)

Principal Director of Audit (Infrastructure)

New Delhi

Place: New Delhi

Dated: 08 December 2020



Annexure

(to Separate Audit Report of Airports Economic Regulatory Authority of India for the year 2019-20)

1. Adequacy of Internal audit system

Internal audit has not been conducted for the period 2019-20.

2. Adequacy of Internal control system

During audit, deficiencies were noticed in internal control system viz. non accounting of receipts from sale of old assets as per prevailing accounting practices, non reviewing of old liabilities, reversal of bank payments without supporting receipt voucher, and advances (Dr) were disclosed under liabilities (Cr) as negative balances. Thus, the internal control system needs to be strengthened.

3. System of physical verification of fixed assets

The physical verification of fixed assets was not carried out during the financial year 2019-20.

4. System of physical verification of inventory

There was no inventory.

5. Regularity in payment of statutory dues


Statutory dues were paid on time.


Management Replies to the comments of C&AG, in its Separate Audit Report on the Accounts of the Airports Economic Regulatory Authority of India for the year ended 31st March, 2020

Para No	Observation of C&AG	HM No.	Reply of the Authority
A	General Significant Accounting Policies (Schedule 24) Fixed Assets (Policy No. 5): The above significant accounting policy in respect of fixed assets is not in conformity with the prescribed method of presentation of fixed assets as per Accounting Standard 12 - Accounting for Government Grants.	1(1)	As per the accounting practice followed during previous years in the Authority, the fixed assets are being booked at Rs.1 in Fixed Asset register and the remaining amount is being charged as expenditure in the year of purchase. However, the observations of Audit have been noted for future compliance
В	Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule 25) Capital commitments: The above does not include Rs. 18.38 crore (AERA's share) on account of Capital Commitments in respect of construction of combined operational offices for DGCA, BCAS, AAIB, and AERA at Safdarjung Airport.		Ministry of Civil Aviation has never allocated any funds under the head-Creation of Capital Assets. The matter regarding release of funds under Capital head is being taken up with the Ministry on regular basis. However, the observations made by Audit have been noted and the facts shall be disclosed appropriately through Notes on Accounts.
C	Grants-in-Aid During the year 2019-20, AERA received a total grant of Rs. 1088 lakh from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of Rs. 54.38 lakh as on 01.04.2019. Out of this total grant of Rs. 1142.38 lakh, AERA could utilize Rs. 967.56 lakh only during 2019-20, leaving an unspent balance of Rs. 174.82 lakh.		The figures submitted are correct.




	ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT					
1.	Adequacy of Internal Audit System Internal audit has not been conducted for the period 2019-20	The Internal Audit of AERA is conducted by Internal Audit Party of Pr. Accounts Office, Ministry of Civil Aviation. Due to nationwide Covid 19 lockdown and social distancing norms since March 2020, the entire govt. offices have come to a standstill position. Probably, Internal Audit party has therefore not yet visited AERA office for conducting the Annual Internal Audit. However, the matter is being taken up with Internal Audit Party for taking up the audit for 2019-20 at the earliest.				
2.	Adequacy of Internal Control System. During audit, deficiencies were noticed in internal control system viz. non accounting of receipts from sale of old assets as per prevailing accounting practices, non reviewing of old liabilities, reversal of bank payments without supporting receipt voucher, and advances (Dr) were disclosed under liabilities (Cr) as negative balances. Thus, the internal control system needs to be strengthened.					
3.	System of Physical Verification of fixed assets. The physical verification of fixed assets was not carried out during the financial year 2019-20. System of Physical Verification of Inventory. There was no inventory					
5.	Regularity in payment of statutory dues. Statutory due were paid on time	Being factual noted.				










भारतीय प्रमुख हवाई अड्डे





भारत सरकार भारतीय विमानपतन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (नागर विमानन मंत्रालय के आधीन सांविधिक निकाय) ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,

एरा भवन, प्रशासनिक काम्पलेक्स, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003

Government of India
Airports Economic Regulatory Authority of India
(A statutory body under Ministry of Civil Aviation)
AERA Building, Administrative Complex, Safdarjung Airport, New Delhi - 110003
www.aera.gov.in